



राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड
National Dairy Development Board

आरटीआई: एफ: 25: 22756

19 फरवरी 2016

श्री अमर सिंह
AC-4, गायत्री सदन
जिला परिषद के सामने
गायत्री मार्ग, सवाई जयसिंह हाईवे
बनीपार्क, जयपुर (राजस्थान)

पंजीकृत डाक

विषय: आपका पत्र दिनांक 03.02.2016 आरटीआई अधिनियम 2005 तहत जो कि हमें तारीख 05.02.2016 को प्राप्त हुआ

महोदय,

आपके उपरोक्त आरटीआई आवेदन के संदर्भ में हमारा उत्तर निम्नलिखित है।

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा डा. वर्गिस कुरियन स्मृति पशुधन विकास प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से सम्पूर्ण भारत में पशु नस्ल सुधार प्रशिक्षण (CBIT) कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें स्थानीय पशुपालक/बेरोजगार युवाओं को कृत्रिम गर्भाधान कार्य, पशुधन प्रबंधन, डेरी विकास एवं व्यवसाय, पशुओं में रोग एवं रोगों की जानकारी तथा रोकथाम हेतु प्राथमिक उपचार, चारा विकास, अधिक दुग्ध उत्पादन के उपाय आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आपणंद (गुजरात) से अनुमति/मान्यता/अनापत्ति या अनुमोदन की आवश्यकता है अथवा नहीं।	नहीं।
2.	यदि इस प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार की अनुमति/मान्यता/अनापत्ति या अनुमोदन की आवश्यकता है तो कृपया इससे संबंधित समस्त नियम व शर्तों की पत्रावली की प्रतियां उपलब्ध करवाने की कृपा करें।	लागू नहीं है।

धन्यवाद,



भवदीय,
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के लिए

मीनेश शाह

(मीनेश शाह)

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

टै: (02692) 226277

ईमेल: meenesh@nddb.coop

यदि आप हमारा द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी से सहमत नहीं हैं तो आप 30 दिन के अंदर आरटीआई एक्ट 2005 के प्रावधान के तहत निम्नलिखित अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं :

श्री संग्राम चौधरी, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, पोस्ट बॉक्स संख्या 40, आपणंद 388001, गुजरात टै: (02692) 226249; ईमेल: sangram@nddb.coop